न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांकः- /१३ निगरानी R-2625-I/13

मनोहरलाल मृत वारिसान

०१. सोहनबाई विधवा मनोहरलाल उम्र ४८ साल

०२. जितेन्द्रकुमार पिता मनोहरलाल उम्र २८ साल

०३. ब्रजेशकुमार पिता मनोहरलाल उम्र २४ साल समस्त निवासीगण ग्राम नगरी तहसील दलौदा जिला मन्दसौर (म०प्र०)

०४. जया पिता मनोहरलाल पति विपिन उम्र २६ साल निवासी इन्दिरानगर उज्जैन (म०प्र०)

........आवेदकगण

विरूद्ध

गीताबाई पिता नाथु निवासी ग्राम जमुनियामीणा तहसील दलोदा जिला मन्दसौर (म०प्र०)

............अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग केन्द्र उज्जैन के क्रमांक ६६/निगरानी/११.१२ में पारित आदेश दिनांक ३१.०१.१३ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर जानकारी दिनांक से पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करते है।

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र.भू.रा.संहिता

०१. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

०२. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय को सीमांकन में कब्जा दिलाए जाने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु विधि के विपरीत जाकर सीमांकन के साथ कब्जा दिलाए जाने का आदेश दिये जाने का कोई क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है इस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

०३. यह कि सीमांकन के समय सीमंकान नियमों का पालन नहीं किया गया अर्थात सीमांकन के समय आवेदक के स्वर्गीय पिता को कोई सुचना नहीं दी गई तथा सीमांकन फिल्ड बुक बनाए बिना कर दिया गा इस प्रकार से सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।।

०४. यह कि अनावेदक द्वारा अपनी भूमि सर्वे नं० १४३/१ रकबा १.०४५ आरे त्रुटिवश अनावेदक के नाम दर्ज होने से उसका दुरूपयोग करते हुए तहसीलदार महोदय के समक्ष उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में जांच कराने पर भी

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर मोहनलाल मृत वारिसान सोहनबाई आदि / गीताबाई

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2624–एक/2013 ....जिला मन्दसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/3/16	यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-01-2013 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।	
	2/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि आवेदक क्र–1 के पति एंव आवेदक क्रमांक 2 से 4 के पिता मनोहरलाल का दिनांक 25-2-13 को स्वर्गवास हो चुका है उसके वाद वह क्रियाकर्म एंव रश्मो–रिवाज में लग रहे। दिनांक 25-4-13 को जितेन्द्र अपर आयुक्त न्यायालय में गया एंव प्रकरण की जानकारी ली तब पता चला और 25-4-13 को नकल का आवेदन देने पर दिनांक 14-5-13 को नकल प्राप्त होने पर यह निगरानी की गई है इसलिये 30-1-13 से 25-4-13 तक का समय कन्डोन करने पर निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किया जाय।	

R 2624-I/13 अन्तर्गोर

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग ने प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 31-1-13 को पारित किया है जबकि मनोहरलाल की मृत्यु 25-2-13 को होना बताया गया है। अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग के आदेश दिनांक 31-1-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन पर स्थिति यह है कि दिनांक 25-4-13 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन दिया गया है तथा दिनांक 14-5-13 को प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदकगण को प्राप्त हो गई है इसके बाद दिनांक 12.6.13 को निगरानी प्रस्तुत की गई है। दिनांक 14-5-13 से दिनांक 12-6-13 के व्यतीत समय का दिन-प्रतिदिन का हिसाव भी नहीं दिया गया है एंव अनुचित विलम्ब के संबंध में आवेदकगण के अभिभाषक समुचित समाधान नहीं करा सके हैं।

5/ उपरोक्त कारणों से आदेश दिनांक 31-1-13 के विरुद्ध निगरानी 12-6-13 को अवधि-वाह्य प्रस्तुत होना पाये जाने से गुणदोष पर विचार किये बिना निरस्त की जाती है।

सदस्य